HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4998/2026

Rakesh Kumar Son Of Ramkumar, Aged About 30 Years, Resident Of Village Gurara, Police Station Khandela, District Sikar (Presently Accused Petitioner Is In High Secutiry Jail Ajmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jaideep Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)

Order

12/06/2026

विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–816/2022, पुलिस थाना उद्योग नगर, सीकर, जिला सीकर, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 396 एवं 120बी भा.दं.सं. एवं धारा 3/25 व 7/27 आर्म्स एक्ट में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3160/2025, राकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.09.2025 को स्वीकार करते हुए प्रकरण के विचारण तक प्रार्थी–अभियुक्त को संबंधित पुलिस थाने के समक्ष प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपस्थिति देने के लिए निर्देश दिया गया था। परन्तु प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत की सुविधा प्राप्त करने के पश्चात आदेशानुसार नियत समयावधि माह नवम्बर, 2025 के प्रथम सप्ताह में संबंधित पुलिस थाना उद्योग नगर, सीकर में उपस्थित नहीं होकर नवम्बर, 2025 के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिवस में उपस्थित हुआ है, जिस पर विचारण न्यायालय–बालक न्यायालय (सेशन न्यायाधीश), सीकर, जिला सीकर द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक

05.03.2026 द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन होना मानते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत–मुचलके जब्त सरकार कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाकर उसका न्यायिक अभिरक्षा वारण्ट मूर्तिब किया गया तथा अभियुक्त व उसके जामिनान के विरूद्ध धारा 446 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही खोली गई। तत्पश्चात् यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत हुआ है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के बीमार होने के कारण वह संबंधित थाने में नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका तथा निवेदन किया कि भविष्य में नियमित रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष एवं संबंधित थाने में नियत समयावधि में उपस्थित होता रहेगा, अतः एक बार पुनः जमानत की सुविधा दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध कर यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वर्तमान प्रकरण में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3160/2025 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन इस शर्त पर स्वीकार किया गया कि अभियुक्त प्रकरण के विचारण तक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित थाने के समक्ष उपस्थिति देता रहेगा, किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के बीमार होने का कारण जाहिर करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त नवम्बर, 2025 के प्रथम सप्ताह में संबंधित थाने में उपस्थित नहीं हुआ तथा वह नवम्बर, 2025 के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन उपस्थित हो गया था। विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी/अभियुक्त की

अनुपस्थिति का सद्भाविक कारण एवं प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 446 दं.प्र.सं. की कार्यवाही पूर्ण किया जाना बताया है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, प्रस्तुत तर्कों, अनुपस्थिति बाबत बताये गए कारण, अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि और भविष्य में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.09.2025 की पालना में संबंधित थाने में नियमित पेशियों पर उपस्थिति बाबत दिये गये आश्वासन आदि को देखते हुए अभियुक्त को एक बार पुनः जमानत की सुविधा दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **राकेश कुमार पुत्र श्री रामकुमार** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2025 में वर्णित शर्तों की पालना किए जाने पर इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय/संबंधित थाने में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता ना हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय/संबंधित थाने के समक्ष नियत तिथि/पेशियों पर पुनः अनुपस्थित रहने पर उसे जमानत सुविधा नहीं दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)),J

MANOJ ADWANI/23